देहरादून (उत्तराखण्ड)
गुरुवार 21.08.2025
समय 07.20
प्रादेशिक समाचार –

मुख्य समाचार :–

- लोकसभा ने हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी।
- राज्य मंत्रिमण्डल ने महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग–अलग नीतियां बनाने का निर्णय लिया।
- उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दी।
- और, पौड़ी जिले में पाबो के निकट कलगड़ी में आपदा से क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नया बैली ब्रिज छोटे वाहनों की आवाजाही के लिये खोला गया।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनिमियन विधेयक

लोकसभा ने कल ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया। यह विधेयक ई–स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के प्रतिकूल प्रभाव से बचाना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 11 वर्ष में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है।

श्री वैष्णव ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

श्री वैष्णव ने बताया कि विधेयक में तीन खंड हैं– ई–स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेम्स और ऑनलाइन मनी गेम्स।

कैबिनेट

उत्तराखंड सरकार, महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के लिए अलग–अलग नीतियां बनाएगी। इसके तहत कौशल विकास, सरकारी व निजी संस्थानों में नौकरी के साथ ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। चमोली जिले के भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने युवाओं के लिये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, विदेशी भाषाओं और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का फैसला किया। साथ ही महिलओं को भूतवपूर्व सैनिकों को रोजगार से जोड़ने के लिये प्रारंभिक चरण में प्रत्येक ब्लॉक में 200 लोगों को मौन पालन, एप्पल मिशन और बागवानी से संबंधित प्रशिक्षण देने पर भी सहमति बनी।

मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना 2025 को भी मंजूरी दी, जिसमें पॉक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम और अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की गई है।

इसके अलावा 'उत्तराखंड साक्षी संरक्षण योजना 2025' को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना से कानूनी मामलों में साक्षियों को सुरक्षा, गोपनीयता और आवश्यकतानुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि वे बिना किसी भय या दबाव के गवाही दे सकें।

सर्वे कार्य पूरा

एक सौ सत्तर किलोमीटर लंबी टनकपुर–बागेश्वर नई रेलवे लाइन के सर्वे का काम पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। लोकसभा में यह जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की अनुमानित लागत 48 हजार 692 करोड़ रुपये है। उन्होंने कहा कि परियोजना को राज्य सरकार, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय की मंजूरी आवश्यक है, जिसके बाद ही इसे आगे बढ़ाया जाएगा।

रेल मंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में रेल अवसंरचना के लिए बजट आवंटन 2009 से 2014 की तुलना में लगभग 25 गुना बढ़कर इस वित्तीय वर्ष में 4 हजार 641 करोड़ रुपये हो गया है। अब तक राज्य में 216 किलोमीटर लंबाई की तीन नई रेल लाइनों को 40 हजार 384 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है। देवबंद–रुड़की रेल लाइन पूरी हो चुकी है, जिससे दिल्ली–देहरादून की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के 11 स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए चुना गया है। इनमें देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, काशीपुर, काठगोदाम, किच्छा, कोटद्वार, लालकुआं, रामनगर, रुड़की और टनकपुर शामिल हैं।

उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक

उत्तराखंड विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक राज्य में पहली बार अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की मान्यता प्रक्रिया को पारदर्शी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब अल्पसंख्यक संस्थानों की मान्यता केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी समुदाय को भी सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मदरसा शिक्षा व्यवस्था में छात्रवृत्ति वितरण और मिड–डे मील में अनियमितताओं के साथ पारदर्शिता की कमी रही है। विधेयक लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम और गैर–सरकारी अरबी व फारसी मदरसा मान्यता नियम एक जुलाई 2026 से समाप्त हो जाएंगे।

इस विधेयक से गुरुमुखी और पाली भाषा का अध्ययन भी संभव होगा। इसके तहत उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, जो संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा। मान्यता प्राप्त करने के लिए संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य होगा और वित्तीय गड़बड़ी या पारदर्शिता की कमी पाए जाने पर मान्यता वापस ली जा सकेगी।

बेली ब्रिज–पाबो पौड़ी

गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाला बुआखाल–धुमाकोट–रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पाबौ के निकट कलगडी में बने नए बैली ब्रिज से छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। पश्चिमी नयार नदी में आई बाढ़ से 1970 में बना यह पुराना पुल बह गया था, जिससे पौड़ी जिले के कई क्षेत्र जिला मुख्यालय और कुमाऊं मंडल से कट गए थे। नए पुल से अब यातायात संपर्क पुनः स्थापित हो गया है।

लोक निर्माण विभाग धुमाकोट के अनुसार अगले पाँच दिन में पुल बड़े वाहनों के लिए भी खोल दिया जाएगा। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि 45 मीटर स्पान का बैली ब्रिज रिकॉर्ड समय में बनाया गया है।

बीआईएस

रुद्रप्रयाग में भारतीय मानक ब्यूरो–बीआईएस देहरादून की ओर से जिला स्तरीय संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीआईएस देहरादून के निदेशक सौरभ तिवारी ने अधिकारियों को भारतीय मानक, गुणवत्ता प्रबंधन और उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारतीय मानक केवल उत्पादों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उपभोक्ता सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से भी जुड़े हैं।

इस दौरान जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सभी विभागों को बीआईएस प्रमाणित उत्पाद खरीदने और स्थानीय इकाइयों को प्रमाणन के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। उन्होंने बीआईएस से स्वयं सहायता समूहों और एम०एस०एम०ई इकाइयों को प्रमाणन की राह दिखाकर स्थानीय उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ाने जाने की अपेक्षा की।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय

नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को चुनाव की मतगणना की वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज आज पूर्वाह्न 11 बजे ज़िलाधिकारी कार्यालय में दिखाई जाएगी।

जिला पंचायत अध्यक्ष पद की उम्मीदवार रहीं पुष्पा नेगी द्वारा पुनः मतदान की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला लिया गया। याचिका में मतपत्रों से छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे। इस मामले में उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने ज़िलाधिकारी को निर्देश दिया कि सरकार के एक अधिवक्ता के साथ दोनों उम्मीदवारों और उनके तीन–तीन वकीलों को यह फुटेज दिखाई जाए।

छात्रसंघ चुनाव

उत्तराखंड के तीन राज्य विश्वविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव एक ही दिन कराए जाएंगे। चुनाव की तिथि 15 से 27 सितंबर के बीच सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने के बाद घोषित की जाएगी।

कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल के कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया।